चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 01.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने 03 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब व 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल गुप्ता व उनकी टीम ने अभियुक्त 1.दशरथ निषाद पुत्र गौरी निषाद निवासी कपसेठी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब 2.अभियुक्त कुंजी उर्फ छोटू पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी अहिरन पुरवा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तो के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii).चौकी प्रभारी खोह श्री सत्यमपति त्रिपाठी व उनकी टीम ने अभियुक्त प्रवीण तिवारी पुत्र दिलीप तिवारी निवासी बक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त1.सुचित तिवारी पुत्र मदनमोहन निवासी ग्राम नैनी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2.शिवाकान्त पुत्र रामानुज द्विवेदी निवासी ग्राम नैनी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 3.राजकरन पुत्र बब्बू यादव निवासी ग्राम बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 4.दीपक पाण्डेय पुत्र दुवुकुवा निवासी ग्राम लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 5.राममिलन उर्फ पुत्ति पुत्र कुलबुल कहार निवासी ग्राम लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट6.राजेन्द्र पुत्र रामराज वर्मा निवासी ग्राम अमवा मजरा बक्टा खुर्द थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(5). आज दिनाँक 01.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(6). आज दिनाँक 01.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात महिला बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.चुन्नू पुत्र दर्शन निवासी ओरा थाना पहाड़ी 2.पुष्पराज पुत्र राधेश्याम निवासी

डोमनखेडा थाना पहाड़ी 3.फूलचन्द्र पुत्र गुत्ता निवासी रईयापुरवा थान पहाड़ी जनपद चित्रकूट व प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.सन्दीप उर्फ लोटना पुत्र सदला पटेल निवासी पैकौरामाफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2.मनीष उर्फ कुलदीप पुत्र रामसवारे निवासी गढ़ीकला पड़री मौजा मदना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(8). पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में दिनाँक 25.04.2025 से आज दिनाँक 01.05.2025 तक चल रहे तृतीय चरण के 07 दिवसीय सीसीटीएनएस कैप्सूल कोर्स का समापन किया गया।
07 दिवसीय कैप्सूल कोर्स में डिस्ट्रिक कॉआर्डिनेटर मनीष वर्मा के द्वारा कोर्स में नामित 12 पुलिस कर्मियों को सीसीटीएनएस के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी,जिसमें सीसीटीएनएस के सभी फार्मो की फीडिंग,ई-साक्ष्य एप,ई-सम्मन पोर्टल, साइबर सेल टीम द्वारा साइबर क्राइम एवं आईजीआरएस टीम द्वारा आईजीआरएस के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। कोर्स के समापन पर पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिसकर्मियों को जिन्होने अच्छे ग्रेड के साथ कैप्सूल कोर्स की परीक्षा को पास किया है उन सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया जिनके नाम क्रमशः 1. आरक्षी किशन कुमार कोतवाली कर्वी ने AA ग्रेड 2.महिला आरक्षी समीक्षा थाना बरगढ़ AA ग्रेड 3.आरक्षी विमलेश थाना राजापुर AA ग्रेड 4.अमित तिवारी थाना मारकुण्डी ने AA ग्रेड 5. महिला आरक्षी नीतू नायक महिला थाना ने A ग्रेड 6.महिला आरक्षी रेखा भारती बहिलपुरवा ने A ग्रेड 7.आरक्षी गुड्डू यादव थाना पहाड़ी ने A ग्रेड 8.आरक्षी शिवलाल ने A ग्रेड 9.आरक्षी नंदराम थाना मऊ ने A ग्रेड 10. आरक्षी राजमंगल थाना मानिकपुर ने A ग्रेड 11.महिला आरक्षी दुर्गेश नंदनी थाना सरधुवा ने B ग्रेड 12. आरक्षी एहसान अली ने B ग्रेड प्राप्त किया।